अध्याय – III

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

3.1 विधिक शुल्क का कपटपूर्ण भुगतान

इंडियन एसोसिएशन फॉर दि कल्टीवेशन ऑफ साइंस तथा बोस संस्थान ने एक अधिवक्ता को न्यायालय में वास्तविक उपस्थिति का सत्यापन किए बिना ₹83.55 लाख का भुगतान किया। इसमें से ₹54.93 लाख का भुगतान कपटपूर्ण पाया गया।

इंडियन एसोसिएशन फॉर दि कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता (आई.ए.सी.एस.) एवं बोस संस्थान, कोलकाता (बी.आई.), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) के अंतर्गत स्वायत संगठन, अपने कानूनी मामलों से निपटने के लिए कोलकाता स्थित एक अधिवक्ता की सेवाएँ ले रहे थे। आई.ए.सी.एस. ने जुलाई 2007 से नवंबर 2012 के बीच 17 दावों के संबंध में ₹57.33 लाख का भुगतान किया और बी.आई. ने सितंबर 2008 से अगस्त 2012 के बीच 20 दावों के संबंध में ₹26.22 लाख का भुगतान किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दोनों संगठनों ने उस अधिवक्ता, जो विगत 15-20 वर्षों से कार्य कर रहा था, के चयन के लिए किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया तथा अधिवक्ता के साथ न किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये और न ही उनके मुकदमों के बहस के लिए कोई वकालतनामा अभिलेखों में पाया गया। दोनों संगठनों द्वारा यह सूचित किया गया कि वर्तमान अधिवक्ता के पिता काफी पहले उनके मुकदमों की पैरवी करते थे।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि आई.ए.सी.एस. तथा बी.आई. दोनों ने अधिवक्ता को उच्च न्यायालय कोलकाता/अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष संस्थानों के मुकदमों हेतु उसके द्वारा एवं/ या अन्य अधिवक्ताओं जिनकी सेवाएँ लेने का उसके द्वारा किये गये पेशी के दावे से संबंधित उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए विपत्रों के लिए भुगतान किया। संस्थान भुगतान हेतु विपत्रों का निपटारा करते समय मुकदमों की प्रगति का सत्यापन भी नहीं कर रहे थें। उन मुकदमों के लिए भी भुगतान किए जा रहे थे

जिनका संगठन से कोई संबंध नहीं था। ₹54.93 लाख की राशि के आई.ए.सी.एस. को जारी किए गए 13 विपत्रों तथा बी.आई. को जारी किए गए 12 विपत्रों से संबंधित उच्च न्यायालय कोलकाता से प्राप्त किए गए प्रमाणित दस्तावेजों की जांच से पता चला कि न्यायालय में वास्तविक पेशी के प्रमाण का सत्यापन किए बिना भुगतान हेतु विपत्र पारित कर दिया गया। विस्तृत जांच से पता चला:

- अधिवक्ता द्वारा दावा किए गए पेशी की 144 तिथियों में, उच्च न्यायालय में उक्त तिथियों को कोई सुनवाई ही नहीं हुई थी;
- पेशी की 144 तिथियों में से 49 तिथि उस तिथि के बाद की थी जिस पर न्यायालय द्वारा संबंधित मुकदमे का निपटारा कर दिया गया था;
- अधिवक्ता द्वारा दावा किए गए पेशी की 54 तिथियों के लिए बी.आई. द्वारा उस मुकदमे के संबंध में भुगतान किया गया था जो इंस्टीट्यूट से संबद्ध ही नहीं था।
- पेशी की 10 तिथियों में, उच्च न्यायालय के आदेश अधिवक्ताओं की पेशी के बारे में नहीं बताते जिसके लिए विपत्रों का दावा किया गया था; और
- एक मुकदमे में, दो अलग-अलग विपत्रों में अधिवक्ता द्वारा दावा किए गए एक ही तिथि पर पेशी के लिए दो बार भुगतान किया गया।

उपरोक्त दावों के विवरण ***परिशिष्ट VIII*** में दिये गए हैं।

लेखापरीक्षा द्वारा आई.ए.सी.एस. एवं बी.आई. (जुलाई 2013) को ध्यान दिलाये जाने पर, आई.ए.सी.एस. ने स्वीकार किया (अगस्त 2013) कि विधिक व्यय विपत्र पूर्व लेखापरीक्षा के बिना गलती से भुगतान के लिए जारी किए गए। आई.ए.सी.एस. ने आगे सूचित किया (फरवरी 2014) कि अधिवक्ताओं के दो अलग-अलग पैनल एक उच्च न्यायालय एवं दूसरा निचली अदालतों के लिए बनाए गए हैं। बी.आई. ने कहा (मार्च 2014) कि वकालतनामा की एक प्रति ही बनाई गयी थी और अधिवक्ता को न्यायालय में दायर करने के लिए दे दी गयी थी। अधिवक्ता के साथ औपचारिक समझौता के संबंध में, जबकि आई.ए.सी.एस. ने स्वीकार किया (जून 2014) कि अधिवक्ता के साथ औपचारिक समझौता उपलब्ध नहीं था, बी.आई. ने कहा (जून 2014) कि अधिवक्ता का लगभग 15 से 20 साल पहले से संबद्ध था।

इस प्रकार, आई.ए.सी.एस. एवं बी.आई. बिना यथोचित परिश्रम किए एक अधिवक्ता की न सिर्फ सेवाएँ ले रहे थें बल्कि पेशी के झूठे दावों के विरुद्ध भुगतान भी कर रहे

थें जिसका परिणाम ₹54.93 लाख के कपटपूर्ण भुगतान के रूप में हुआ। डी.एस.टी. ने कहा (अगस्त 2014) कि लेखापरीक्षा निरीक्षण के बाद अधिवक्ता को आई.ए.सी.एस. एवं बी.आई., दोनो के पैनल से हटा दिया गया। डी.एस.टी. ने आगे कहा कि दोनों संस्थानों को अधिक भुगतान की पूर्त्ति के लिए विधिक एवं प्रशासनिक कदम उठाने तथा आंतरिक जांच करने व गलतियों के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने को निर्देशित किया गया है।

फिर भी, तथ्य यह रहा कि यद्यपि इस मामले को शुरुआत में लेखापरीक्षा द्वारा जुलाई 2013 में प्रतिवेदित किया गया था, परंतु ना ही कोई प्रारंभिक जांच की गई और ना ही आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया गया (अगस्त 2014)।

3.2 उपकरणों का प्रतिष्ठापन न करना

इण्डियन एसोसिएशन फॉर दि कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता, उपकरणों के प्रतिष्ठापन के लिए समय पर स्थान की पहचान करने में विफल हो गया, स्थान की तैयारी में विलम्ब किया और इस दौरान उपकरण का उचित भण्डारण सुनिश्चित करने में भी विफल रहा। परिणामस्वरूप ₹ 3.40 करोड़ की लागत पर खरीदे गए उपकरण पाँच वर्षों से अधिक के लिए अप्रतिष्ठापित रहे और अनुचित भण्डारण के कारण क्षतिग्रस्त हो गए जिनकी ₹ 21.17 लाख की अतिरिक्त लागत पर मरम्मत की गई।

इण्डियन एसोसिएशन फॉर दि कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता (आई.ए.सी.एस.), विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है जो भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, ऊर्जा, पॉलीमर तथा सामग्री के मूल अनुसंधान में लगा है। आई.ए.सी.एस. ने तीन वर्षों की अवधि के लिए नाभिकीय विज्ञान अनुसंधान बोर्ड (बी.आर.एन.एस.), परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.) द्वारा वित्तपोषित ₹1.77 करोड़ की लागत पर 'सी.आर.पी[19]-स्प्रिंट्रॉनिक्स सामग्री'-दोहरे पेरोवस्किट आधारित स्प्रिंट्रानिक्स की तैयारी तथा लक्षण वर्णन' नामक परियोजना आरम्भ की (अगस्त 2006)। कुल संस्वीकृति में से ₹ 1.60 करोड़ की राशि उपकरणों की खरीद के लिए आवंटित की गई थी।

आई.ए.सी.एस. ने वैश्विक निविदा के बाद जी.बी.पी.[20] 1,80,000 की लागत पर अतिरिक्त उपकरणों के साथ पल्स ट्यूब कोल्ड हेड सहित बेसिक 16 टेसला

[19] समन्वित अनुसंधान कार्यक्रम

[20] ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग

सी.एफ.एम.[21] की खरीद के लिए यू.के. की एक फर्म को आपूर्ति आदेश दिया (मार्च 2007)। परियोजना प्रभारी ने सूचित किया (19.08.2007) कि आदेशित उपकरण माप प्रणालियों[22] के अभाव में बेकार होगा और अतिरिक्त उपकरण के लिए सुमेलन निधियां अनुमोदित करने का निदेशक, को अनुरोध किया। परिणामत: आई.ए.सी.एस. ने किसी निविदा आमंत्रण प्रक्रिया के बिना जी.बी.पी. 1,85,000 की लागत पर 'डी.सी. प्रतिरोधकता तथा हाल इफेक्ट सिस्टम इलैक्ट्रानिक्स, सॉफ्टवेयर, मल्टीस्केनिंग सुविधा' की खरीद हेतु उसी पूर्तिकार को एक अन्य आपूर्ति आदेश दिया (20.08.2007)।

दोनो उपकरण अक्टूबर 2008[23] में आई.ए.सी.एस. द्वारा प्राप्त किए गए और आई.ए.सी.एस. ने खरीद हेतु ₹ 3.40 करोड़ व्यय किया था। संरचनात्मक सुधार करने के बाद आई.ए.सी.एस. परिसर में एक पुराने भवन में उन्हें प्रतिष्ठापित किए जाने का प्रस्ताव किया गया था (फरवरी 2008)। परियोजना प्रभारी ने इस दौरान आई.ए.सी.एस. से त्याग पत्र दे दिया (दिसंबर 2008)। हालांकि नवंबर 2009 में परियोजना का एक नया प्रभारी अनुमत हो गया, उपकरण के लिए स्थान तैयार न होने के कारण प्रतिष्ठापित नहीं किया जा सका। इसी बीच परियोजना औपचारिक रूप से बंद घोषित की गई थी (अगस्त 2009)।

स्थान की उपलब्धता लम्बित रहते हुए, उपकरण को एक अस्थाई ढ़ांचे में तारपालिन से ढ़ककर भण्डार किया गया। स्थान अन्ततः अक्टूबर 2010 में तैयार किया गया था परन्तु तब तक दो वर्ष के अनुचित भण्डारण तथा नमी के लम्बे प्रभाव के कारण मुख्य उपकरण को जंग लग गई और वह क्षतिग्रस्त हो गया था। उपकरण के निरीक्षण के बाद पूर्तिकार ने मरम्मत हेतु क्षतिग्रस्त उपकरण को वापस करने का आई.ए.सी.एस. से अनुरोध किया (नवम्बर 2011)। उपकरण केवल अगस्त 2012 में पूर्तिकार को सुपुर्द किया गया था और मरम्मत किया गया उपकरण मई 2013 में वापस प्राप्त हुआ था। आई.ए.सी.एस. ने मरम्मत पर ₹ 21.17 लाख का अतिरिक्त व्यय किया। दूसरा उपकरण मापन प्रणाली के साथ तथापि, उसकी प्राप्ति से पैक अवस्था में रहा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आई.ए.सी.एस. ने उपकरण प्रतिष्ठापन की योजना अग्रिम में नहीं बनाई। उपकरण के प्रतिष्ठापन के स्थान की पहचान आपूर्ति आदेश

---

[21] क्रयाजोन मुक्त माप

[22] कक्षा माप प्रणाली के साथ एसी/डीसी प्रतिरोधकता, वीएसएम+एसी संग्राहकता ढांचा, उच्च ताप के लिए विशेष ताप माप तापक

[23] आई.ए.सी.एस. ने उक्त उपकरण की सुपुर्दगी की अनुसूची के लिए कोई खण्ड नहीं लगाया और पूर्तिकार ने अक्टूबर 2008 में, अर्थात 19 तथा 14 माह बीत जाने के बाद दोनों उपकरण सुपुर्द किए।

देने के लगभग एक वर्ष बाद फरवरी 2008 में की गई थी। स्थान तैयार करने में दो वर्ष से अधिक का विलम्ब हुआ था। आई.ए.सी.एस. इस बीच की अवधि में उपकरण का उचित भण्डार करने में भी विफल रहा जिसके कारण यह क्षतिग्रस्त हो गया। परिणामस्वरुप, उपकरण का मार्च 2014 तक प्रतिष्ठापन नहीं हुआ।

आई.ए.सी.एस. ने स्वीकार किया (अप्रैल 2013) कि वह आरम्भ में पर्याप्त उपलब्ध प्रयोगशाला स्थान की पहचान करने में असमर्थ था। तथापि स्थान की तैयारी के विलम्ब के मामले पर आई.ए.सी.एस. ने कुछ नहीं कहा। आई.ए.सी.एस. ने यह भी स्वीकार किया कि कथित उपकरण परियोजना, जो पूर्ण नहीं हो सकी, के भाग के रुप में अपेक्षित था। आई.ए.सी.एस. ने आगे बताया कि परियोजना का उद्देश्य सहयोगी प्रयासों के माध्यम से अन्यत्र समान सुविधाओं के अभिगम द्वारा अधिकतर पूर्ण किया गया था।

इस प्रकार समय पर स्थान की पहचान करने की विफलता, स्थान तैयारी में विलम्ब और उपकरण का उचित भण्डारण सुनिश्चित करने में लापरवाही के परिणामस्वरुप पांच वर्षों से अधिक के लिए ₹ 3.40 करोड़ का महंगा उपकरण निष्क्रिय रहा जो अन्य अनुसंधान कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता था। अनुचित भण्डारण के कारण हानि के परिणामस्वरुप उपकरण की मरम्मत पर ₹21.17 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।

डी.एस.टी. ने जहां स्वीकार किया (जुलाई 2014) कि समय से स्थल की पहचान करने में विफलता थी और स्थल तैयार करने में देरी हुई थी, इसने कहा कि उपकरण को नुकसान एक साइक्लोन के कारण हुआ था जो अनपेक्षित था। डी.एस.टी. ने यह भी कहा कि आई.ए.सी.एस. स्थान की तीव्र कमी के कारण भवन के अंदर उपकरण को रखने में असमर्थ था। यह उत्तर लेखापरीक्षा के इस निरीक्षण का समर्थन करता है कि संस्थान द्वारा स्थान की कमी का सामना करने को देखते हुए महंगे आयातित उपकरण के स्थापन के लिए स्थल की अग्रिम योजना अत्यधिक महत्वपूर्ण थी।